6

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 181–तीन/1999 – विरूद्व आदेश दिनांक 12–10–1998 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 52/1995–96 अपील

बद्रीलाल पुत्र गनपतलाल राठौर
निवासी श्योपुर कलॉ तहसील व जिला
श्योपुर कलॉ मध्य प्रदेश —आवेदक

विरूद्व

मध्य प्रदेश शासन — अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)
(शासन के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 4 –7 –2016 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 52/1995–96 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–10–1998 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार वृत्त–2 श्योपुर कलॉ ने अपर कलेक्टर श्योपुर कलॉ को प्रतिवेदन दिनांक 1–7–95 प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम मिठेपुरा स्थित भूमि सर्वे नंबर 24 जिल्द बंदोवस्त सन् 1915 संबत 1917 में पड़त कदीम शासकीय अंकित है परन्तु खसरा पंचशाला 2026 लगायत 2030 में सर्वे कमांक 24/6 दर्ज होकर हरनाम सिंह पुत्र सूबेदार सिंह के नाम अंकित हो गई, यह भूमि हरनाम सिंह के नाम कैसे आई , इसका उल्लेख नहीं है। तदुपरांत खसरा पंचशाला 2030 लगायत 2034 में

यही भूमि ताराचंद पुत्र गंगाराम जाट के नाम अंकित हो गई। हरनाम सिंह से ताराचंद के नाम किस आधार पर आई, रिकार्ड में उल्लेख नहीं है, इसके वाद संबत 2043 में नामान्तरण पंजी 5 दिनांक 22–11–85 अंकित होकर रामनारायण पुत्र प्रताप कलार के नाम , तदुपरांत नामान्तरण पंजी क. 47 दिनांक 16–7–88 से दामल पुत्र ओमकार के नाम अंकित हुई, जबकि जिल्द बंदोवस्त में यह भूमि शासकीय अंकित है जिसके कारण हरनाम सिंह को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। यह सभी कार्यवाही फर्जी तरीके से सॉठ गॉठ कर शासकीय भूमि को हड़पने का प्रयास किया गया है। नायव तहसीलदार के प्रतिवेदन पर से अपर कलेक्टर श्योपुर ने रामनारायण पुत्र रामप्रताप कलार के विरूद्व प्रकरण कमांक 2/94–95 सी 129 पंजीबद्व किया तथा सुनवाई कर आदेश दिनांक 3–7–95 पारित किया तथा भूमि सर्वे कमांक 24 को शासकीय एंव सर्वे कमांक 27 की भूमि को मजारशाह पीठे शाह इमारत पुख्ता बांके देह बहत्माम भूराशाह पुत्र बीराशाह माफी धर्मादा दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने प्रथम अपील अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की। अपर आयुक्त व्दारा प्रकरण कमांक 52/1995–96 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–10–1998 से अपील अर्स्वीकार की। इसी आदेश के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक एंव शासन के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर मनन् करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से यह निर्विवाद है कि ग्राम मिठेपुरा स्थित भूमि सर्वे नंबर 24 जिल्द बंदोवस्त सन् 1915 संबत 1917 में पड़त कदीम शासकीय अंकित है। वाद में खसरा पंचशाला 2026 लगायत 2030 में भूमि सर्वे कमांक 24/6 दर्ज होकर हरनाम सिंह पुत्र सूबेदार सिंह के नाम भूमिस्वामी नाम पर किस प्रकार अंकित हुई, आवेदक के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके। अपर आयुक्त, चंबल संभाग के आदेश दिनांक 12.10.98 एंव अपर कलक्टर के आदेश दिनांक 3–7–95 से परिलक्षित है कि उनके समक्ष भी यह समाधान नहीं कराया गया एंव ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया कि खसरा पंचशाला 2026 लगायत 2030 में भूमि सर्वे कमांक 24/6

हरनाम सिंह पुत्र सूबेदार सिंह के नाम पर किस प्रकार अंकित हुई। स्पष्ट है कि खसरे में शासकीय भूमि पर फर्जी प्रविष्टि की गई है। इसी प्रकार संबत 2034 के बाद के खसरा पंचशाला 2030 लगायत 2034 में यही भूमि ताराचंद पुत्र गंगाराम जाट के नाम किस आधार पर आई , आवेदक के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके। अतएव यह प्रविष्टि भी फर्जी होना पाई गई। भूमि सर्वे कमांक 27 रकबा 4 बीघा 14 बिसवा जमारशाह मीठेशाह इमारत पुख्ता वाके देह व एहतमाम भूराशाह साकिन देह माफी धर्मादा के नाम पर शासकीय अभिलेख में दर्ज चली आ रही थी यह भूमि भी ताराचंद के नाम किस आधार पर हुई ? अपर कलेक्टर श्योपुर कलॉ के समक्ष सुनवाई के दौरान, अपर आयुक्त, चंबल संभाग के समक्ष सुनवाई के दौरान दोनों भूमियों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं कर सके एंव दस्तावेजों से प्रत्यापन नहीं करा सके कि उक्त भूमियॉ का स्वत्व हस्तांतरण उनके नाम किस आधार पर हुआ है तथा इस न्यायालय में भी आवेदक के अभिभाषक उक्त सम्बन्ध में समाधान नहीं करा सके हैं। जब हरनाम सिंह एंव ताराचंद का उक्तांकित भूमि पर स्वत्व प्रमाणित नहीं हुआ है तब ऐसी भूमि के केताओं को भी किसी प्रकार का स्वत्व एंव स्वामित्व अंतरण होना नहीं माना जावेगा। इस सम्बन्ध में अपर कलेक्टर श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 2/94–95 सी 129 में पारित आदेश दिनांक 3–7–95 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अपर आयुक्त चम्बल संभाग व्दारा प्रकरण कमांक 52/1995–96 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–10–1998 में निकाले गये निष्कर्ष समरूप हैं जिसके कारण विचाराधीन अपील सारहीन है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन पाये जाने निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 52/1995–96 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–10–1998 विधिवत् पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर